राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/एस.एच.जी./मबावि/2005/ 53704-54005 जयपुर, दिनांक 6.8.09

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय :– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की मातृ समिति के माध्यम से की गई व्यवस्था के बदलाव के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– संगसंख्यक पत्र कमांक–91907–92285 दिनांक 12.11.05 एवं इसकी निरन्तरता में जारी समस्त दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार खिचड़ी/मीठा दलिया स्वयं सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

मातृ समिति की आवश्यकता, अवधारणा, गठन, उद्देश्य तथा कार्य एवं उत्तरदायित्व आदि हेतु विस्तृत निर्देश विभागीय आदेश कमांक 14226–58 दिनांक 20.09.05 के द्वारा जारी किये गये थे। मातृ समिति के माध्यम से उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार बनाने एवं खिलाये जाने के निर्देश थे जो स्कूल परिसर में संचालित नहीं है तथा जहां पर सहकारिता विभाग के माध्यम से अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के द्वारा भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा गरम पूरक पोषाहार बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है वहां पर भी मातृ समितियों का गठन किया जायेगा लेकिन ऐसे स्थानों पर मातृ समितियों को पूरक पोषाहार व्यवस्था के सम्बन्ध में केवल पर्यवेक्षण का कार्य ही करने के निर्देश दिये गये थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को प्रतिदिन गरम पूरक पोषाहार के वितरण पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व मातृ समितियों को दिया गया है। समीक्षा के उपरांत यह पाया गया है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य नहीं हो रहा है।

सिविल रिट पीटीशन संख्या 196/2001 पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.03.08 को माननीय उच्चतम न्यायालय को समेकित बाल विकास सेवाओं के बारे में प्रस्तुत किये गये हलफनामें में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार को महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला मण्डल, ग्रामीण समुदाय द्वारा बनाने एवं वितरण करने का उल्लेख किया गया है। गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य सेवाएं यथा शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह आदि के लिए समय नहीं मिल पाता है।

बारे–

उपरोक्त संदर्भ में राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मुख्यतः स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करायी जावेगी। इस सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक-11579-888 दिनांक 24.02.09 के बिन्दु संख्या-17 में निर्देशित किया गया था कि " जहां मातृ समिति प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हो उन केन्द्रों पर इस व्यवस्था के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूह का चयन किया जावे तथा धीरे-धीरे समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराई जावे। " **अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से कराया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु सक्षम महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन कर 3 माह में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मातृ समितियों के स्थान पर इनके माध्यम से करायी जावे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों पर निगरानी एवं उनके संचालन में सहयोग के लिए मातृ समितियां यथावत कार्य करती रहेगी। इस प्रकार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह अथवा अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था सम्भालने के बाद मातृ समितियां केवल पर्यवेक्षण का कार्य करेंगी।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी विभागीय निर्देश दिनांक 20.09.05 के प्रावधनों अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रवार गठित मातृ समितियों की समीक्षा कर सैक्टरवार इनके पुर्नगठन के आदेश जारी करेगें। उनके द्वारा प्रत्येक 6 माह उपरांत इन समितियों की पुनः समीक्षा की जायेगी तथा विभागीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक होने पर समिति के सदस्यों को बदला जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिये जाते हैं :-

1 मातृ समितियों/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा/से गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था समाप्त करने पर उनको दिये गये अग्रिम राशि रू. 4,000/- की वसूली कर बजट मद- "8672-स्थायी नगद अग्रिम, 101-सिविल में जमा करायेंगे।

2 प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नही होने पर नजदीक के आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध स्वयं सहायता समूह से गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था करायी जा सकेगी।

गरम पूरक पोषाहार व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.4 (1)( )पोषा/SHG/मबावि/2005/ 54006-91   जयपुर, दिनांक 6.8.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, म.एवं बा.वि.वि.,राज. जयपुर।
4 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.................................।
6 मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
7 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
8. कम्प्यूटर प्रशाखा-मुख्यालय (विभागीय वेबसाईट पर लोड करने हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)